न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : श्री राकेश कुमार मीना (आरएएस)
मुकदमा नं0 : 49/2023
प्रकरण दर्ज दिनांक : 19.06.2023
प्रकरण निस्तारण दिनांक : 23.06.2023

उनवानी प्रकरण
ओमप्रकाश बनाम राज0 सरकार
प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 राज0एल.आर.एक्ट

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा नम्बर 928/364 वाके ग्राम रेटा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि में से ख0न0 928/364 का सीमाज्ञान उपतहसीलदार सिकन्दरा द्वारा दिनंक 07.06.2023 को किया जा चुका है। लेकिन पडोसी खातेदार प्रार्थी की कब्जेकाश्त की उक्त आराजी की भूमि को दबाना चाहते है, इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित खातेदारी एवं कब्जेशुदा भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जिस हेतु प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2023को दर्ज रजिस्टर किया किया। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2023 को किया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया । पत्रावली में विचाराधीप भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थी का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को वाके ग्राम रेटा तहसील सिकराय में स्थित प्रार्थी की भूमी खसरा नम्बर 928/364 पर पत्थरगढ़ी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार सिकराय को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.06.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी सिकराय